

26-6-23 पत्रावली महंगाई राहत कॅम्प एवं प्रशासन गांवों के
संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत मेला में पेश
हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित शवाक
संख्या 539, 239, 546, 689 में नाम शुद्धीकरण



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहक हुकम में</p>
-----------------------	--	---------------------------------------

इस्तार्तेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तइआ की।

मैंने पत्रावली का अब्लोकन किया तथा तहसीलदार माण्डल की प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाने की सन्त 2013-2016 व 2053-2056 एंव सैकण्डरी स्कूल की अंकागलिका, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, आदि का अध्ययन किया जिसे जाहिर आया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है अतः

∴ आदेश ∴

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास परिवार हल्का सुरास तहसील माण्डल के खाता सं. 539, 239, 546, 689 में अंकित खातेदार आजाद पुत्र बंशीलाल शर्मा के बजाय पप्पू लाल शर्मा पुत्र बंशीलाल शर्मा राजस्व रिकार्ड में किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पालना देवे तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम है।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023